स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक /जि0आ0, दिनांक- / /2013

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

सभी अंचल अधिकारी,
किशनगंज जिला।

विषय :: ईंट भठ्ठों से स्वामिस्व वसूली के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खान निरीक्षक-सह-सक्षम पदाधिकारी, पूर्णियाँ-सह-किशनगंज से अंचलवार ईंट भठ्ठों की सूची प्राप्त है।

प्राप्त सूची की छाया-प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि अपने अंचल अन्तर्गत संचालित ईंट भठ्ठों का भौतिक सत्यापन करते हुए इनसे स्वामिस्व वसूली कराना सुनिश्चित किया जाय। ऐसे ईंट भठ्ठों को बिहार गौड़ खनिज समनुदान नियमावली के नियम 26 के तहत्, बन्द करें तथा ईंट भठ्ठों में उपलब्ध सामग्रियों को चिहिन्त करें, जिन्होंने स्वामिस्व का भुगतान नहीं किया है। साथ हीं यह भी निदेश दिया जाता है कि सूची में अंकित ईंट भठ्ठों के अतिरिक्त संचालित ईंट भठ्ठों के संबंध में सूचना एक सप्ताह के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अपर समाहर्त्ता
किशनगंज।

ज्ञापांक /जि0आ0, दिनांक- / /2013

प्रतिलिपिः- खान निरीक्षक-सह-सक्षम पदाधिकारी, पूर्णियाँ-सह-किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि आंशिक एवं सम्पूर्ण रूप से स्वामिस्व भुगतान नहीं करने वाले ईंट भठ्ठों पर बिहार गौड़ खनिज समनुदान नियमावली की सुसंगत नियमो के तहत् दण्डित करने हेतु कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

अपर समाहर्त्ता
किशनगंज।

ज्ञापांक 359 /जि0आ0, दिनांक-11 / 3 /2013

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः: जिला प्रबंधक आई.टी. किशनगंज, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
किशनगंज।

D/Barababu/ LETTER 2013/ADM/LETTER